



39

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/1555

दिनांक 19/10/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42622/2019

- संदर्भ:-
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-14/ 2020/ 10-2 दिनांक 02.09.2020.
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स का पत्र क्र./1732/मु.का.अ./चिप्स/2020 दिनांक 12.10.2020.
* * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

दिनांक 09.10.2020 को प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 3 के अनुसार वन विभाग का 0.307 हे वन क्षेत्र भी प्रकरण में आवेदित है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।	वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है क्योंकि वन विकास निगम भी बिलासपुर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आता है।
2.	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में प्रभावित गैर वन क्षेत्र का विवरण संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 4 के अनुसार 69.3247 हे. है। कृपया उपरोक्त गैर वन क्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रदायित करने का कष्ट करें।	गैर वन क्षेत्र का विवरण Form-A, Part-I पर दर्शित है जो परिशिष्ट -1 में संलग्न है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 21 में 1:15000 स्केल का नक्शा "इंडेक्स मैप" के रूप में प्रस्ताव में संलग्न दर्शाया गया है किन्तु उक्त नक्शा प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 21 अनुसार "इंडेक्स मैप" के रूप में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदत्त वनस्पति मानचित्र संलग्न किया गया है जिस पर प्रस्तावित ओ.एफ.सी. रूट अंकित किया गया है।

60

4.	संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है जबकि वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 50 में प्रदायित भाग-2 के बिंदु क्र I(iv) अनुसार यह 0.4 से 0.6 है।	वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 50 में प्रदायित भाग-2 के बिंदु क्र I(iv) अनुसार यह 0.4 से 0.6 है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.08.2020 के बिन्दु क्र. 11 में आवेदित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 के स्थान पर 0.5 त्रुटिवश टंकित हो गया है जिसे 0.4 से 0.6 मान्य करने का कष्ट करें।
5.	संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 16 अनुसार जिले में विषयांकित प्रकरण के अनुरूप "एक" प्रकरण में वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है जबकि पृष्ठ क्रमांक 73 अनुसार यह जानकारी "NIL" लेख किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करे।	वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 16, पृष्ठ क्र. 73 में यह जानकारी "NIL" लेख किया गया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.08.2020 के बिन्दु क्र. 16 में "एक" प्रकरण में वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है जो त्रुटिवश टंकित हो गया है जिसे "NIL" मान्य करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/167

नया रायपुर, दिनांक 15/01/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर

विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भ:-

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-14/ 2020/ 10-2 दिनांक 27.11.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से 1 बिन्दु की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी के अनापत्ति से संबंधित था जिसे मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर पत्र क्रमांक/ 2880 दिनांक 12.01.2021 से वन विकास निगम के कोटा परियोजना मंडल अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र का अनापत्ति जारी किया गया है छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

अनापत्ति प्रमाण पत्र (1 पृष्ठीय)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़